उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-51/2013-14

लक्ष्मी देवी वगै0

बनाम्

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा

-: आदेश :-

दिनांक 15/01/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदिका लक्ष्मी देवी, पति–स्व0 दीप नारायण झा वो आवेदक श्रीकांत झा, पे0–स्व0 तेज नारायण झा, सा0–कसवा थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कसवा नं0–54, 56, 58 के जमाबंदी सं0–74 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सौखी झा वो खन्तो झा, पे0–वनवारी झा के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के दाग नं0–472 के अंदर रकवा 08 डिसमल जमीन मेहरमा–ठाकुरगंगटी सड़क चौड़ीकरण के लिए भू–अर्जन विभाग द्वारा भू–अर्जन किया गया है एवं मुआवजा हेतु 47790.00 रू0 निर्धारित किया गया। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–472 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में संयुक्त रूप से दोनों जमाबंदी रैयत के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत के वंशजों के बीच उक्त दाग नं0 की जमीन का आपसी बँटवारा भी नहीं हुआ है। इसलिए दाग नं0–472 की जमीन पर दोनों जमाबंदी रैयत के वंशजों का हक एवं अधिकार संयुक्त रूप से है और मुआवजा का हिस्सा दोनों जमाबंदी रैयत के बीच बराबर होना चाहिए। लेकिन विपक्षी सं0–01 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने दोनों पक्ष के हिस्से पर विचार किये बिना मात्र जमाबंदी रैयत सौखी झा के वंशज विपक्षी सं0– 02, 03 एवं 04 के नाम से मुआवजा राशि स्वीकृत किया गया। उनका आगे कथन है कि मुआवजा का भुगतान के लिए मुआवजा केश नं0–18/08–09 संधारित किया गया। लेकिन जमाबंदी रैयत खन्तो झा के वंशजों को नोटिश नहीं दिया गया एवं एक पक्षीय सौखी झा के वंशजों के नाम से ही मुआवजा का निर्धारण किया गया। जब आवेदिका को पता चला तो आवेदिका ने अपना दावा पेश

करते हुए आवेदन दिया गया कि जगाबंदी रैयत सौखी झा के वंशजों के द्वारा धोखाघड़ी किया है और धोखाघड़ी करके विपक्षी सं0–02 एवं 03 के द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त कर लिया गया तथा विपक्षी सं0–04 के द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि दाग नं0–472 की जमीन का विधिवत रूप से बँटवारा नहीं होने के कारण उक्त जमीन पर दोनों जगाबंदी रैयत के वंशजों का कानूनी रूप से हक एवं अधिकार है। उन्होंने मुआवजा का आधा हिस्सा आवेदिका एवं आवेदक के नाम से स्वीकृत कर भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–02, 03 एवं 04 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कसवा नं0–54, 56 एवं 58 जमाबंदी सं0–74 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में सौखी झा एवं खन्तो झा के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी की जमीन का दोनों जगाबंदी रैयत के वंशजों के बीच मौखिक रूप से बँटवारा हो गया है और दाग नं0–472 की जमीन पर मकान एवं बाड़ी अवस्थित है जिसका उपयोग 65 वर्ष पूर्व से विपक्षी सं0–02, 03 एवं 04 के द्वारा किया जाता है। जिसका समर्थन ग्रामीण, मुखिया एवं ग्राम प्रधान तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन से होता है। यदुनाथ झा के द्वारा अपने हिस्से क जमीन दानपत्र के द्वारा विपक्षी सं0–03 को दिया है। उनका आगे कथन है कि हाल सर्वे में भी दाग नं0–472 की जमीन विपक्षीगण के नाम से दर्ज है। इस प्रकार आवेदकों को उक्त दाग नं0–472 की जमीन पर कोई हक एवं अधिकार नहीं रह गया है। आवेदकों ने गलत तरीके से मुआवजा की राशि के लिए दावा किया है। उन्होंने आवेदकों के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कसवा थाना सं0–56, 54, 58 जमाबंदी नं0–74 रकवा 10–16–18 धुर जमीन पर्चा में खतियानी रैयत खन्तो झा वो सौखी झा पेशरान वनवारी झा कौम ब्रहमन सा0 देह के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के खेसरा सं0–472 किश्म बाड़ी का सम्पूर्ण रकवा 00–18–03 धुर में से अंश रकवा 0.8 जमीन मेहरमा–ठाकुरगंगटी मुख्य सड़क के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। मौजा–कसवा जमाबंदी नं0–74 खेसरा सं0–472 रकवा 00–18–03 धुर जमीन खन्तो झा वो सौखी झा पेशरान

वनवारी झा के नाम से पर्चा में दखल इजमाल कहकर दर्ज है। आवेदिका का खतियानी रैयत खन्तो झा वो सौखी झा से पारिवारिक संबंध निम्न प्रकार है :–

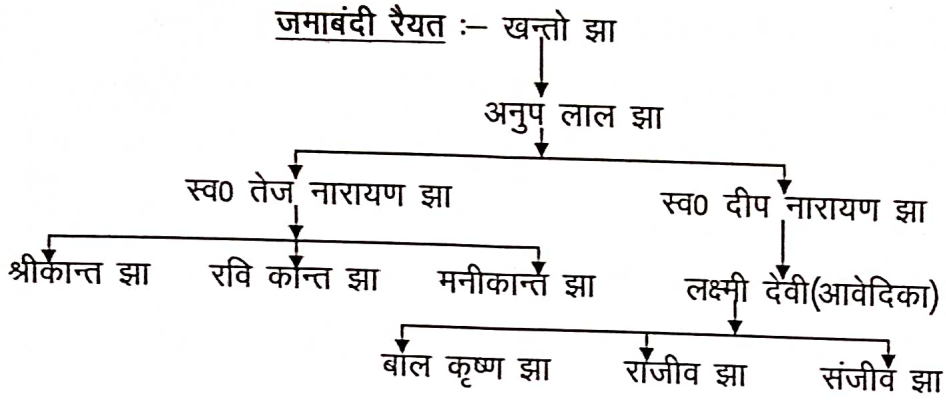

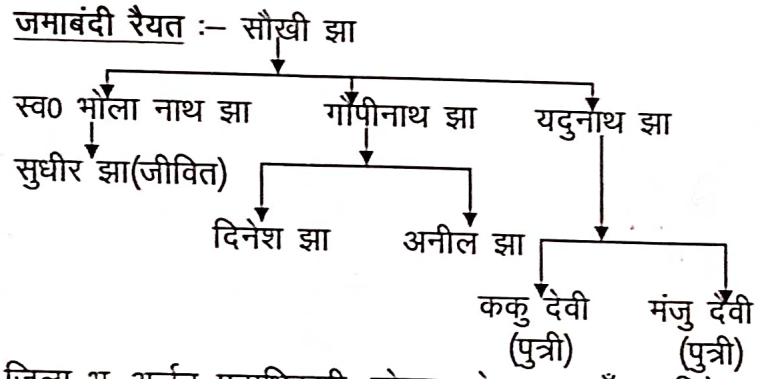

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मेहरमा–ठाकुरगंगटी सड़क चौड़ीकरण निर्माण हेतु मौजा–कसवा सीट नं0–01, थाना नं0–54, 56 एवं 58 के जमाबंदी सं0–74 दाग नं0–472 में घोषित एवार्डी निम्न प्रकार है :–

1. सुधीर कुमार झा, पिता–स्व0 भोला झा
2. दिनेश झा, पिता–स्व0 गोपी झा
3. अनिल झा, पिता–स्व0 गोपी झा में से सुधीर झा, पिता–स्व0 भोला झा को चेक सं0–482432 दिनांक–24.10.2013 राशि–36930.00(छत्तीस हजार नो सौ तीस) रू0 एवं दिनेश झा, पिता–स्व0 गोपी झा को चेक सं0–482427 दिनांक–23.10.2013 राशि–31017.00 (एकतीस हजार सत्तरह) रू0 का भू–मुआवजा भुगतान कर दी गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अंचल अधिकारी, मेहरमा एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कसवा नं0–54, 56 एवं 58 जमाबंदी

सं0–74 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में खन्तो झा वो सौखी झा पेशरान वनवारी झा के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–472 वाड़ी औवल रकवा 00–18–00 धुर जमीन रैयत इजमाल कहकर दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण रकवा 00–18–00 धुर जमीन में से अंश रकवा 08 डिसमल का अधिग्रहण किया गया है। यद्यपि अधिग्रहण जमीन इजमाल है लेकिन अभिलेखबद्ध कागजात से यह स्पष्ट होता है कि अधिग्रहित रकवा में खतियानी रैयत सौखी झा के वंशज का मकान एवं सहन है। आवेदिका एवं आवेदक खन्तो झा के वंशज से आतें हैं, जिसका अधिग्रहण नहीं हुआ है।अतः मुआवजा भी नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकों का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

23/6/2022

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 12:17:26 +05:30
Location: 192.168.29.32